

बन्धक आदि पायी जाता है तो ऐसी दशा में क्रेतागण को हक व अधिकार होगा कि वह अपना कुल बयाना धनराशि मय हर्जा खर्चा नुकसान के मुझ विक्रेतागण से व मेरे वारिसान व कायम मुकामान की दीगर जायदाद चल व अचल से न्यायालय द्वारा वसूल कर लेवे कोई उज्र नहीं होगा।

9. यह कि तयशुदा विक्रय मूल्य उभय पक्षों को घटाने अथवा बढ़ाने का अधिकार न होगा।

10. यह कि यह इकरारनामा बय बिना कब्जे का है जिसका विक्रय मूल्य मु० 48,00,000/- रुपया है जिसपर नियमानुसार संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या स० वि० क० नि० -5- 2756/ 11- 2008- 500 (165) /2007 लखनऊ दिनांक 30.6.2008 के अनुसार 2 प्रतिशत दर से स्टाम्प शुल्क मु० 96,000/- रुपये का देय होता है, किन्तु यह एक अनुबन्ध पत्र है, अतः मु० 100/- रुपया का स्टाम्प शुल्क अतिरिक्त भी देय है, इस प्रकार कुल मु० 96,100/- रुपया का ई स्टाम्प शुल्क क्रेतागण उपरोक्त द्वारा इस विक्रय अनुबन्ध पत्र में अदा किया गया है।

Anil Mohli

Devi

Anil Mohli

Shankar Tekar